संख्या-471/2016/6434जेएल/22-3-16-800(127)/2013

प्रेषक,

हरि नारायण गिरि,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
कौशाम्बी।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 05 दिसम्बर, 2016***

विषय- केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद के बंदी गुलशाद पुत्र मो0 फारूक, निवासी-ग्राम-बरीपुर, थाना-कोखराज, जनपद-कौशाम्बी को पैरोल वृद्धि प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद के बंदी गुलशाद पुत्र मो0 फारूक, निवासी-ग्राम-बरीपुर, थाना-कोखराज, जनपद-कौशाम्बी को शासनादेश संख्या-412/2016/5117जेएल/22-3-16-800(127)/2013, दिनांक 25-10-2016 के क्रम में **एक माह की पैरोल वृद्धि** स्वीकृत की जाती है। शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

संख्या-471/2016/6434जेएल(1)/22-3-16-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2- पुलिस अधीक्षक, कौशाम्बी।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in